सेवा में,

D.A.

अंचल अधिकारी

कोडरमा

विषय – ऑनलाईन पंजी II के गलत विवरण में सुधार के संबंध में।

महाशय,

निवेदन करना है कि मेरी भूमि का विवरण निम्नवत है–

क्र० सं०	दिनांक	ग्राम/मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	पंजी II के भाग एवं पृष्ठ सं०	खतियान के अनुसार भूमि का किस्म
	6-2-2025	जारीमाडीह कोडरमा	7			4.52	2	

उक्त भूमि के ऑनलाईन पंजी में निम्न गलतियाँ हैं, जो सुधार करना जरुरी है–

क्र० सं०	त्रुटि/गलती का प्रकार	त्रुटि/गलती का विवरण	जो सुधार करना है उसका विवरण
1.	खाता सं० गलत है		
2.	प्लॉट सं० गलत है		
3.	रकवा गलत है		
4.	मेरी जमीन की विवरणी ऑनलाईन दर्ज नहीं है	ऑनलाइन नहीं	ऑनलाइन दर्ज करना
5.	रैयत के नाम या पिता/पति के नाम जाति व लिंग व किस्म जमीन में गलती है।	धानवती कुमारी पिता- [illegible] सिंह	
6.	अन्य गलतियाँ		

अतः निवेदन है कि उक्त गलती का सुधार करने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं निम्नांकित जमा कर रहा हूँ/रही हूँ।

1. स्वअभिप्रमाणित पूर्व का लगान रसीद (छायाप्रति संलग्न)
2. स्वअभिप्रमाणित दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र (Correction Slop) (छायाप्रति संलग्न)।
3. स्वअभिप्रमाणित भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र (Registered Deed) (छायाप्रति संलग्न)।

आवेदक का हस्ताक्षर धानवती कुमारी

आवेदक का नाम धानवती कुमारी

पिता/पति का नाम स्व०- [illegible] सिंह

ग्राम/मौजा जारीमाडीह पंचायत [illegible]

हल्का सं० .... थाना कोडरमा प्रखण्ड [illegible]

मो० 9470884415, 9334230242

38
11/02/25

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– 19/2025–26

धानवती कुमारी
पति–स्व० बालेश्वर सिंह
साकिन– लरियाडीह, थाना–
वो जिला–कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने से संबंधित है। जिसके संदर्भ में आवेदिका धानवती कुमारी पति–स्व० बालेश्वर सिंह, साकिन–लरियाडीह, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा के द्वारा निम्नांकित भूमि के बाबत आवेदन समर्पित कर जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा/थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड में)
लरियाडीह/299	07	54	0.08
		73	0.08
		91	0.21
		248	0.67
		276	0.47
		323	0.94
		471	0.17
		504	0.14
		949	0.08
		951	0.46
		954	0.13
		956	0.25
		957	0.01
		1008	0.08
		1162	0.07
		1193	0.05
		1215	0.05
		1399	0.25
		1580	0.11
		1813	0.07
		1832	0.15
कुल रकवा–			4.52 एकड़

उक्त के निमित आवेदक से भूमि के संबंध में वांछित कागजात की मांग करते हुए आम–इश्तेहार निर्गत किया गया। आम–इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन संलग्न

Scanned with OKEN Scanner

है। उक्त के बाबत संबंधित हलका राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर से आवेदित भूमि के संदर्भ में विहित प्रपत्र में जाँच–प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। संलग्न जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जिसमें संबंधित हलका राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी जीर्ण–शीर्ण/फटा हुआ है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद एवं केवाला सं०–6202 दिनांक–28.07.1960 की छायाप्रति में मौजा–लरियाडीह, थाना नं0–299 के खाता सं0–7 प्लॉट सं०–54 वगैरह कुल रकवा–4.52 एकड़ भूमि लेख्यधारी– धानवती कुमारी के नाम से दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है, जो भूमि ऑफलाईन पंजी– II के पृष्ठ सं0–158/2 में धानवती कुमारी के नाम से चल रहा था, जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। धानवती कुमारी के अलावे प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी किसी अन्य के नाम से दर्ज नहीं है। उक्त प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अमीन से भूमि का मापी एवं सीमांकन कराया गया तत्पश्चात अंचल अमीन द्वारा स्थल मापी एवं सीमांकन कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। मापी एवं सीमांकन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लरियाडीह, थाना नं0–299 के खाता सं0–07 प्लॉट नं0–54, रकबा–08 डी०, प्लॉट सं०–73 रकवा–08 डी०, प्लॉट सं०–91 रकवा–21 डी., प्लॉट सं०–248 रकवा–67 डी०, प्लॉट सं०–276 रकवा–47 डी०, प्लॉट सं०–323 रकवा–94 डी०, प्लॉट सं०–471 रकवा–17 डी०, प्लॉट सं०–504 रकवा–14 डी०, प्लॉट सं०–949 रकवा–08 डी०, प्लॉट सं०–951 रकवा–46 डी०, प्लॉट सं०–954 रकवा– 13 डी०, प्लॉट सं०–956 रकवा–25 डी०, प्लॉट सं०–957 रकवा–01 डी०, प्लॉट सं०–1193 रकवा–05 डी०, प्लॉट सं०–1215 रकवा–05 डी०, प्लॉट सं०–1813 रकवा–7 डी०, प्लॉट सं०–1832 रकवा–15 डी० कुल रकवा–4.01 एकड़ (चार एकड़ एक डीसमील) भूमि का स्थल जांच अंचल अमीन द्वारा किया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि परती है/खेती बारी किया जा रहा है। जिसपर आवेदक द्वारा अपना दखल–कब्जा बताया गया साथ ही स्थानीय रैयतो द्वारा भी आवेदक की दखल की पुष्टि की गई है एवं गवाहों का भी हस्ताक्षर एवं गणमान्य ग्रामिणों की उपस्थिति एवं आवेदक की उपस्थिति में किया गया। आवेदक द्वारा भी अपने दावे से संबंधित प्रश्नगत भूमि का केवाला की प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें दर्ज धानवती कुमारी के नाम से खाता सं०–07 कुल रकवा–4.52 एकड़ भूमि दर्ज है। परंतु वर्तमान में 4.01 एकड़ भूमि पर आवेदिका का दखल–कब्जा बताया गया। लगान रसीद भंडार पंजी वर्ष–2003–04 में निर्गत रसीद स०–2187943 दर्ज पाया। आवेदित भूमि केवाला के अनुसार रैयती खाते की है, जिसका ऑफलाईन जमाबंदी जीर्ण–शीर्ण एवं फटा हुआ

Scanned with OKEN Scanner

है। आवेदित भूमि का लगान रसीद वर्ष–2003–04 का निर्गत है। लगान रसीद का क्रम सं०–2147943 है, जो संलग्न लगान रसीद के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है।

आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को ऑनलाईन जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है।

अतएव अभिलेख में संलग्न कागजतों यथा केवाला, लगान रसीद आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं०–7 दिनांक–04.02.2025, राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन जो संलग्न है। प्रतिवेदित प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–141/रा० दिनांक–02.02.2016 के आलोक में आवेदित भूमि मौजा–लरियाडीह, थाना नं०–299, खाता सं०–07 प्लॉट सं०–54 बगैरह रकवा–4.01 एकड़ जो रैयती भूमि है का ऑफलाईन जमाबंदी रैयत जो रसीद में अंकित है, धानवती कुमारी के नाम से जमाबंदी उक्त सभी सक्ष्य के आलोक में ऑनलाईन जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत करने हेतु आदेश पारित किया जाता है।

उक्त आदेश से यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अभिलेख में कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।
18/11/25

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।
18/11/25

Digitally signed by localhost
Date: 2025.12.09 13:12:38 +05:30
Location: ::1

Scanned with OKEN Scanner